न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

(1)प्रकरण संख्या–निगरानी/टीए/12702/2004/जयपुर

1– मोहम्मद अबीबुर्ररहमान पुत्र स्व. अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी मकान नम्बर 1617 फिल्म कॉलोनी चौडा रास्ता, जयपुर

–प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर

–अप्रार्थी

2– सुल्तान सिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह (मृतक) नाम तर्क
3– रामकल्याण पुत्र नानू जाति जाट निवासी आकडा चौक तहसील आमेर, जयपुर
4– सज्जन कुमार पुत्र चतुर्भुज अग्रवाल जाति महाजन निवासी सी–20 सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर

–तरतीबी अप्रार्थीगण

(2)प्रकरण संख्या–निगरानी/टीए/4255/2006/जयपुर

1– रामकल्याण पुत्र नानू जाति जाट निवासी ग्राम आकडा चौड तहसील सांगानेर जिला जयपुर

–प्रार्थी

बनाम

1– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आमेर जिला जयपुर
2– मोहम्मद अबीबुर्ररहमान पुत्र स्व. अब्दुल रहमान जाति मुसलमान निवासी मकान नम्बर 1617 फिल्म कॉलोनी चौडा रास्ता, जयपुर
3– सुल्तान सिंह पुत्र रामचन्द्रसिंह (मृतक)
4– सज्जन कुमार पुत्र चतुर्भुज अग्रवाल जाति महाजन निवासी सी–20 सवाई जयसिंह हाईवे, बनीपार्क, जयपुर
5– सचिव, जयपुर विकास प्राधिकार, जयपुर

–अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता, प्रार्थी निगरानी सं.12702/04
श्रीमती ज्योति पारीक, अधिवक्ता, प्रार्थी निगरानी सं.4255/06
श्री रामसुख चौधरी, उप राजकीय अधिवक्ता, अप्रार्थी सरकार

निर्णय

दिनांक 28.11.2023

प्रार्थीगण ने यह दोनों निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 84 सपठित धारा 9 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या–52/1999 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम अब्दुल रहमान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28–09–2001 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2– दोनों प्रकरणों के तथ्य, विवाद बिन्दू एवं अधीनस्थ न्यायालय के एक ही निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत होने से विद्वान अधिवक्तागण की एक साथ बहस करने से इनका निस्तारण एक साथ किया जा रहा है। निर्णय प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जावे।

3– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार आमेर ने एक रेफरेन्स प्रार्थनापत्र दिनांक 9–7–1998 को अन्तर्गत धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का जिला कलक्टर, जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत कर महेशपुरा स्थित आराजी खसरा नम्बर 7/215 रकबा 44बीघा 16बिस्वा में से विपक्षी अब्दुल रहमान के पक्ष में 10बीघा, रमजान मोहम्मद के पक्ष में 15बीघा, सुलतान के पक्ष में 01बीघा एवं हरसा के पक्ष में 04बीघा आवंटन को निरस्त कराने बाबत् प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद प्रकरण को दर्ज रजिस्टर करने के उपरान्त सज्जन कुमार को पक्षकार बनाते हुए बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 28–9–2001 से तहसीलदार, आमेर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर विपक्षीगण के पक्ष में हुए आवंटन को निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी ने यह दोनों निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की है।

4– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री सोगानी का तर्क है कि तहसीलदार द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर चतुर्थ के यहां विवादित आरजी के बारे में रेफरेंस पेश किया गया कि यह खातेदारी निरस्त की जावे जिस पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर चतुर्थ द्वारा खातेदारी निरस्त कर दी जबकि रेफरेंस के तहत केवल मात्र या तो वह रेफरेंस का आवेदन स्वीकार करके रेफरेंस बोर्ड को भेजता अथवा आवेदन खारिज करता। खातेदारों को दी गई खातेदारी को निरस्त करने का अतिरिक्त जिला कलक्टर को कोई अधिकार नहीं है और ना ही अलॉटमेंट निरस्त करने का उसे अधिकार है। तहसीलदार द्वारा रेफरेंस में प्रार्थी के पिता को पक्षकार बनाया पर रिकॉर्ड में तो प्रार्थी का ही नाम गैर खातेदार है और उक्त विवादित भूमि चारागाह में से आवंटन भी नहीं हुआ है बल्कि सिवाय चक में से आवंटन हुआ है सन 1948 का मंडल हाजा का आदेश दो गांवो की सीमा के संबंध में था, चारागाह का कोई विवाद नहीं था। यदि आवंटन 14(4) मे निरस्त किया जाता तो उसकी अपील करते लेकिन तहसीलदार द्वारा रेफरेंस पेश किया गया है और म्यूटेशन रिकार्ड सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं भू–प्रबन्ध अधिकारी बनाते है। यदि इस संबंध में रेफरेंस बनता है तो वह भी बोर्ड में डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड

को ही भेज सकता था, तहसीलदार को रेफरेंस करने का अधिकार ही नहीं था और आगे यह भी कथन किया है कि प्रार्थी राम कल्याण ने तो उक्त सारी जमीन क्रय की है और वह रिकॉर्डेड खातेदार है और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के बाद रेफरेंस के माध्यम से आवंटन को निरस्त नहीं किया जा सकता उसके लिए अपील का मार्ग उपलब्ध था अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश अपास्त किया जावे।

6– विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्रीमती ज्योति पारीक ने उक्त तर्को के अलावा यह तर्क भी किया कि हरसा मरा हुआ था। तहसीलदार ने मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध रेफरेन्स पेश किया है व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध ही आदेश पारित किया है। इसलिए उक्त चुनौतीग्रस्त आदेश शून्य होने से अपास्त किया जावे और आवंटन रेफरेन्स के माध्यम से खारिज नही किया जा सकता।

7– विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता का तर्क है कि धारा 232 के अनुसार कलेक्टर को रेफरेंस बोर्ड को भेजने का ही अधिकार प्रदान करता है लेकिन कलेक्टर ने यह आदेश आवंटन के विरुद्ध अपील मानते हुए आवंटन को खारिज किया है इसलिए आदेश में कोई अवैधता नहीं है अतः निगरानी खारिज की जाए।

8– हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

9– प्रार्थी निगरानीकार ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया है और उसमें यह कारण दिए हैं कि तहसीलदार द्वारा मृत व्यक्ति अब्दुल रहमान के विरुद्ध रेफरेंस पेश करना बताया है और उसके वारिसान को पक्षकार नहीं बनाया गया है प्रार्थी दिनांक 4.11.2004 को तहसील में गया तो उसे पटवारी हल्का ने बताया कि रेफरेंस स्वीकार होकर खातेदारी निरस्त कर दी है तो उसने नकल लेकर कार्यवाही की है इसलिए बताई गई देरी का कारण पर्याप्त है और मृत व्यक्ति के विरुद्ध आदेश पारित किया आदेश शून्य होता है। क्या आदेश मरे हुए व्यक्ति के विरूद्ध हुआ है जांच योग्य है।

10– रामकल्याण बनाम सरकार रिवीजन संख्या–4225/2006 में देरी का यह कारण बताया है कि प्रार्थी का प्रकरण राजस्व मंडल 91/2004 मोहम्मद अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान सरकार में प्रार्थी को नोटिस मिला तो इसकी जानकारी हुई और नकल लेकर ही आवेदन पेश किया इसलिए इसकी निगरानी देरी से पेश की गई है। अतः दोनों निगरानी में बताये गये कारण उचित है। इसलिए धारा 5 का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर देरी अपास्त की जाती है।

11– प्रस्तुत प्रकरण है पत्रावली की अवलोकन से यह प्रकट है कि तहसीलदार आमेर जयपुर द्वारा अब्दुल रहमान, रमजान मोहम्मद, सुल्तान पुत्र रामचंद्र हर्षा पुत्र घिसा जाट और राम कल्याण पुत्र नानू जाट को आवंटित की गई भूमि की खातेदारी निरस्त करने एवं जमीन का आवंटन निरस्त करने के आधार पर खातेदारी अधिकार खत्म करने का आवेदन किया और यह भी कथन किया कि ग्राम महेशपुर मे से जब तक इन पांचो खातेदारियों को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक भू–प्रबन्ध विभाग को रिकार्ड तैयार करने में कठिनाई आ रही है

और वास्तव में यह रकबा नहीं है और ना ही आवंटी काबिज है। रेफरेंस पर नोटिस जारी करके विपक्षीगण को तलब किया गया और विपक्षी सज्जन कुमार ने जवाब प्रस्तुत करके कथन किया कि उसने 1 व 2 की जमीन खरीदी है और 3 व 4 की भूमि अप्रार्थी संख्या 5 ने क्रय कर ली है और विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर जयपुर चतुर्थ ने तहसीलदार का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को खसरा नंबर 7/215 में से किया गया आवंटन क्रमशः 10, 15, 1 व 4 बीघा निरस्त किया गया और पालना हेतु संबंधित को निर्देश दिए गए लेकिन कानूनी प्रावधानों के तहत जब राज्य सरकार द्वारा रेफरेंस किया जाता है तो रेफरेंस के संबंध में जिला कलेक्टर को या अपर जिला कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह संबंधित कार्यवाही अथवा वाद की पत्रावली व अभिलेख मंगवा कर उसकी जांच करें और उसकी वैधता के संबंध में निरीक्षण करके यदि वह यह राय बनाता है कि मामले में जो आदेश किया गया है या डिक्री जारी की गई है उसमें छेड़छाड़ किया जाना चाहिए, रद्द किया जाना चाहिए या उसे उलट जाना चाहिए तो वह अपनी अभिमत राय सहित मामले को राजस्व मंडल को निर्देशित करेगा और उस पर मंडल ही विस्तृत विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए आदेश पारित करेगा।

12- धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की भाषा निम्न प्रकार है-

232. रिकार्ड मंगवाने तथा बोर्ड को निर्देश करने की शक्ति - कलक्टर अपने अधीन्स्थ किसी राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत या उसके समक्ष विचाराधीन किसी वाद या कार्यवाही के रिकार्ड को दी गई आज्ञा अथवा डिक्री की वैधता या औचित्य तथा कार्यवाही की अनियमितता के सम्बन्ध में, स्वयं को सन्तुष्ट करने के अभिप्राय से मंगवा सकेगा और या डिक्री या की गयी कार्यवाही परिवर्तित, खण्डित या पलट दी जाने योग्य है तो वह उस मामले को अपनी राय के साथ बोर्ड को निर्देशित कर देगा और तदुपरान्त बोर्ड उस पर ऐसी आज्ञा दे देगा जो वह उचित समझे।

13- इस प्रकार इस रेफरेंस के प्रावधान धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के परिपेक्ष में जिला कलेक्टर को केवल मात्र तहसीलदार के रेफरेंस आवेदन पर मामला मंडल को भेजने अथवा नहीं भेजने के संबंध में अपनी राय कारणों सहित आदेश पारित करना था ना की खातेदारी अधिकार खत्म करने का आदेश किया जाना चाहिए था उक्त आदेश विधिक प्रावधानों के प्रतिकूल है इसलिए मामला अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर को प्रतिप्रेषित किया जाना और उसका पुनः परीक्षण किया जाना अधीनस्थ न्यायालय के लिए आवश्यक है इसलिए इस पर विधिवत रूप से गुणावगुण पर आदेश पारित किया जा सके इसलिए प्रार्थी की निगरानी याचिका स्वीकार किए जाने योग्य है।

14- परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानी याचिका आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, चतुर्थ, जयपुर द्वारा रेफरेन्स प्रकरण संख्या-52/1999 बउनवानी राजस्थान सरकार बनाम अब्दुल रहमान व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28-9-2001 अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय में उल्लेखित अभिमत के मद्देनजर प्रतिप्रेंषित

किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनकर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गणेश कुमार)
सदस्य